29/9/2022 पत्रावली अधिवक्ता वादी अभियाभ को एवं वादीगण की संरक्षक श्रीमती कलावती पत्नी कमलेश पवार और कमलेश कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत प्रकरण विड्रो फार्मेट प्रस्तुत करने पर जिगहे जे तलब करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जावे। अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है जिससे वादीगण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः वाद पत्र विड्रो किए जाने के आदेश फरमावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर गहनता से मनन किया चूंकि वादीगण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विड्रो में खारीज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

कलावती
पहचानकर्ता
अमरा लाल गोड
एड.

2022
46

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.10.07 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)